उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,

6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ।

संख्या 2327/रेरा–वेबसाइट/2018–19 दिनांकः 06 जुलाई, 2018

कार्यालय–आदेश

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के कार्यालय–आदेश संख्या 840/रेरा–वेबसाइट/2018–19 दिनांकः 07 मई, 2018 द्वारा यू.पी. रेरा के वेब पोर्टल पर परियोजनाओं के रजिस्ट्रेशन एवं पूर्व में पंजीकृत परियोजनाओं की एडिटिंग आदि के लिए व्यवस्था निर्धारित की गई है। इसके अन्तर्गत दिनांक 07 मई, 2018 तक पंजीकृत समस्त ऑन–गोईग परियोजनाओं तथा नवीन परियोजनाओं एवं सम्बन्धित प्रोमोटर्स के पंजीयन विवरण एवं डिटेल्स की अपडेटिंग एडिट फैसिलिटी का उपयोग करते हुए किया जाना अनिवार्य है। एडिट फैसिलिटी का उपयोग करने के लिए दिनांक 06.06.2018 तक पंजीयन शुल्क का 10 प्रतिशत तथा दिनांक 07.06.2018 से दिनांक 06.07.2018 तक पंजीयन शुल्क के 20 प्रतिशत धनराशि एडिटिंग फीस निर्धारित की गई है।

विभिन्न प्रोमोटर्स एवं क्रेडाई के प्रतिनिधियों द्वारा पंजीकृत परियोजनाओं के विवरण/डिटेल्स अपडेट/पूर्ण करने हेतु कुछ समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। अतः उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व पंजीकृत परियोजनाओं के विवरण/डिटेल्स अपडेट/पूर्ण करने हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता हैः–

(1) प्रोमोटर द्वारा प्रश्नगत परियोजना के रजिस्ट्रेशन शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि एडिटिंग शुल्क के रूप में दिनांक 20.07.2018 तक जमा की जा सकेगी।

(2) निर्धारित एडिटिंग शुल्क जमा करने के पश्चात् दिनांक 31.07.2018 तक परियोजना विवरण एडिट किये जा सकेंगे।

प्रोमोटर्स तथा प्रोजेक्ट्स के विवरण एडिट/अपडेट करने की सुविधा में अब आगे कोई समय विस्तार नहीं प्रदान किया जायेगा।

कार्यालय–आदेश संख्या 840/रेरा–वेबसाइट/2018–19 दिनांक 07 मई, 2018 में निर्धारित अन्य समस्त व्यवस्थाएं यथावत् रहेंगी।

6/7/18

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अध्यक्ष रेरा

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, उ.प्र. शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

........2

4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना एक्सप्रेस–वे अथॉरिटी।
5. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ. प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम।
7. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
9. रेरा में पंजीकृत समस्त प्रोमोटर्स को पॅजीकृत ई–मेल आईडी के द्वारा अनुपालनार्थ।
10. अध्यक्ष तथा महामन्त्री, केडाई, उ.प्र.।
11. सहायक निदेशक (सिस्टम्स) रेरा को रेरा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

6/7/18

(अबरार अहमद)
सचिव रेरा